न्यायालय–मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देहरादून।
द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–374/2026
फौजदारी वाद संख्या–7130/2025
राज्य बनाम अतीक अहमद

प्रार्थी/अभियुक्त–अतीक अहमद आयु 25 वर्ष पुत्र श्री रोशन उर्फ मुन्ने खां, निवासी–माता सुन्दरी रोड, गुरूद्वारे के सामने, गली नंबर–10, कमला मार्केट, नई दिल्ली।

मु0अ0सं0 09/2025
अंतर्गत धारा 305(ख), 317(2) भारतीय न्याय संहिता
थाना जी0आर0पी0, देहरादून।

अभियुक्त की ओर से : श्री अम्बर कोटनाला, असिस्टेंट लीगल एण्ड डिफेंस काउसिंल, देहरादून।

राज्य की ओर से : श्री अनूप सिंह, विद्वान अभियोजन अधिकारी।

दिनांक 06.04.2026

प्रार्थी/अभियुक्त अतीक अहमद की ओर से जरिये विद्वान अधिवक्ता एक द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र मु0अ0सं0–09/2025, अन्तर्गत धारा 305(ख), 317(2) भारतीय न्याय संहिता प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार, देहरादून मे निरूद्ध है।

2. संक्षिप्त में अभियुक्त द्वारा जरिये विद्वान अधिवक्ता द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र यह कहते हुए प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त को थाना जी०आर०पी की पुलिस द्वारा उपरोक्त मामले में न्यायालय द्वारा जारी गैर जमानती अधिपत्र के आदेशानुसार दिनॉक 17.03.2026 को गिरफतार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, तभी से प्रार्थी/अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रार्थी/अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय द्वारा दिनांक 22.07.2025 को स्वीकार किया गया था। तदोउपरान्त प्रार्थी/अभियुक्त को न्यायालय द्वारा अस्थायी जमानत पर रिहा किया गया था। प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल अथवा माननीय उच्चतम न्यायालय में कोई भी जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा न ही कोई जमानत प्रार्थना पत्र निस्तारित किया गया है। प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी/अभियुक्त को उक्त मामले की तिथियों को ज्ञान न हो पाने के कारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो पाया था। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जानबूझकर कोई गलती नहीं की गयी है तथा प्राथर्थी/अभियुक्त क्षमा प्रार्थी है तथा आगामी प्रत्येक तिथियों पर माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता रहेगा। प्रार्थी/अभियुक्त से कोई भी माल बरामद नहीं हुआ है। प्रार्थी/अभियुक्त पर दर्शायी गयी कथित बरामदगी झूठी व फर्जी है। कथित बरामदगी का कोई स्वतन्त्र साक्षी नही है। प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है। प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय के आदेशानुसार अपनी जमानत देने को तैयार है। प्रार्थी/अभियुक्त जमानत पर रिहा के पश्चात जमानत का दुरूपयोग नही करेगा। अतः प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत स्वीकार कर उसे दौराने वाद विचारण जमानत जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गई है।

3. विद्वान अभियोजन अधिकारी ने लिखित आपत्ति की है, कि अभियुक्त अतीक अहमद थाना जी0आर0पी0 देहरादून के मु0अ0सं0–9/25 अंतर्गत धारा–305(ख), 317(2) भारतीय न्याय संहिता में न्यायिक अभिरक्षा में है। अभियुक्त को न्यायालय के एन0बी0डब्लू0 आदेशिकाओं के अनुपालन में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय द्वारा प्रदान की गयी जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र का घोर विरोध किया जाता है।

4. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान अभियोजन अधिकारी को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

5. पत्रावली के अवलोकन से दर्शित है कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त अतीक अहमद का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय द्वारा दिनांक 22.07.2025 को स्वीकार किया गया था। तदोउपरान्त प्रार्थी/अभियुक्त को न्यायालय द्वारा अस्थायी जमानत पर रिहा किया गया था। अभियुक्त की निरंतर अनुपस्थिति के कारण न्यायालय द्वारा उसके विरूद्ध गैर जमानतीय अधिपत्र जार किया गया था। अभियुक्त को न्यायालय द्वारा जारी गैर जमानतीय अधिपत्र के अनुपालन में गिरफ्तार कर दिनांक 17.03.2026 को जिला कारागार, देहरादून भेजा गया है। अभियुक्त की जमानत पूर्व में दिनांक 22.07.2025 को न्यायालय द्वारा स्वीकार की गयी थी। उक्त आदेश वर्तमान समय तक न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है, जिस कारण प्रार्थी/अभियुक्त के पक्ष में पारित जमानत आदेश दिनांकित 22.07.2025 आज भी प्रभावी है। अभियुक्त की अनुपस्थिति के कारण उसके विरूद्ध को गैर जमातनीय अधिपत्र जारी किये गये। वर्तमान में प्रार्थी/अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है, जिसके अनुक्रम में उसके द्वारा पूर्व में प्रस्तुत व्यक्तिगत मुचलका राज्य के पक्ष में सम्पृहत हो चुका है।

6. अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस स्तर पर प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा मुब0 30,000/–रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो सक्षम व विश्वसनीय प्रतिभू दाखिल पर जमानत पर रिहा किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी/अभियुक्त का पूर्व व्यक्तिगत बंधपत्र, चूंकि राज्य सरकार के पक्ष में सम्पृहत हो चुका है, जिसके व्यतिक्रम में प्रार्थी/अभियुक्त मुब0 500/–रूपये शास्ति (Penalty) अदा करना सुनिश्चित करे।

7. तद्नुसार द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र निस्तारित किया जाता है।

(रिंकी साहनी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
देहरादून।